की गयी।

- मेसर्स ए.सी.एम.ई. मगध सोलर पावर प्रा. लि., गुरुग्राम द्वारा ग्राम-ककवारा, प्रखण्ड एवं जिला- बांका में निजी पूँजी निवेश से 10 मेगावाट क्षमता का सोलर पी.भी. प्लान्ट तथा मेसर्स ए.सी.एम.ई. नालन्दा सोलर पावर प्रा. लि., गुरुग्राम द्वारा ग्राम-ककवारा, प्रखण्ड एवं जिला- बांका में निजी पूँजी निवेश से 15 मेगावाट क्षमता का सोलर पी. भी. प्लान्ट की स्थापना की गयी।
- सर्वश्री रिगल रिसोर्सेज प्रा. लि., कोलकाता द्वारा ठाकुरगंज, किशनगंज में निजी पूँजी निवेश से उच्च प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत 180 टी.पी.डी. क्षमता का मेज क्रसिंग स्टार्च प्लान्ट की स्थापना की गयी।
- मेसर्स जयदयाल हाईटेक्स प्रा. लि., नदेशर, वाराणसी (उत्तर प्रदेश) के द्वारा मौजा चिपली, कर्मनाशा, प्रखण्ड- दुर्गावती, जिला- कैमूर (भभुआ) में निजी पूँजी निवेश से 4200 मीट्रिक टन वार्षिक क्षमता का प्लास्टिक स्टोरेज बैग्स निर्माण इकाई की स्थापना की गयी।
- मेसर्स सन्जीवन राईस मिल्स प्रा0 लि0, सिक्युरिटी हाउस, 23-बी, एन0एस0 रोड, कोलकता द्वारा ग्राम- बिशनपुर, ब्लॉक-चकाई, जिला-जमुई में निजी पूँजी निवेश से 480 टी0पी0डी0 क्षमता का आधुनिक पारब्याल्ड राईस मिल की स्थापना हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी।
- मेसर्स सा विष्णु बेकर्स प्रा. लि., कोलकाता द्वारा चिलिम, शेरघाटी, गया में निजी पूँजी निवेश से 3000 मे. टन प्रतिवर्ष क्षमता का पोटैटो चिप्स /टकाटक, नमकीन आदि उत्पादन इकाई की स्थापना की गयी।
- मेसर्स फीदरलाइट बिल्डकॉन प्रा0 लि0 किशनगंज द्वारा भटगाँव, ठाकुरगंज किशनगंज में निजी पूँजी निवेश से 115500 क्यूबीक मीटर क्षमता का आटोक्लेव कंक्रीट ब्लॉक/ब्रिक्स उत्पादन इकाई की स्थापना की गयी।
- मेसर्स कृष ह्वाईट ब्रिक्स एल.एल.पी, बख्तियारपुर, पटना द्वारा निजी पूँजी निवेश से औटो क्लेव ईरेक्टेट कंक्रिट ब्लॉक्स निर्माण इकाई की स्थापना की गयी।
- मेसर्स नारायणी फीड्स प्रा. लि., पश्चिम चम्पारण द्वारा निजी पूँजी निवेश से अंतर्गत पॉल्ट्री एवं कैटल फीड्स निर्माण इकाई एवं गोदाम की स्थापना की गयी।
- मेसर्स आरणा फूड्स प्रा. लि., पटना के द्वारा निजी पूँजी निवेश से मक्का प्रसंस्करण के अंतर्गत व्हीट फ्लोर, फीड निर्माण इकाई की स्थापना की गयी।
- मेसर्स मेडिवर्सल हेल्थकेयर प्रा. लि., गोपालगंज द्वारा निजी पूँजी निवेश से 100 शैय्या का मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल की स्थापना, मेसर्स देवघर इण्डस्ट्रीज प्रा.लि., जमुई द्वारा निजी पूँजी निवेश से राईस मिल की स्थापना, मेसर्स जय माता दी फूड प्रोसेसिंग प्रा.लि., बिहटा, पटना द्वारा के निजी पूँजी निवेश से राईस मिल की स्थापना तथा मेसर्स पवित्र एग्रोटेक प्रा.लि., समस्तीपुर द्वारा निजी पूँजी निवेश से कोल्ड स्टोरेज की स्थापना हेतु वित्तीय प्रोत्साहन क्लियरेन्स की स्वीकृति प्रदान की गयी।
- मेसर्स त्रिवेणी स्मेल्टर्स प्रा.लि., रायपुरा, फतुहा, पटना द्वारा निजी पूँजी निवेश से बिलेट निर्माण इकाई की स्थापना की गयी।
- वर्ष 2018 में राज्य में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के युवाओं को उद्योग स्थापित करने के प्रति अभिरुचि पैदा करने और उनके बीच उद्यमिता/स्वरोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना लागू की गयी। वर्तमान में इस योजना के तहत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति समुदाय के उद्यमियों को 10 लाख रुपये तक की सहायता दी जा रही है जिसमें 5 लाख रुपये तक का अनुदान एवं 5 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जा रहा है।

  इस योजना के तहत अबतक चयनित कुल 12,666 लाभार्थियों में से 11,258 को प्रथम किस्त के रूप में 343.36 करोड़ रुपये, 8,920 को द्वितीय किस्त के रूप में 386.82 करोड़ रुपये एवं 6405 को तृतीय किस्त के रूप में 157.69 करोड़ रुपये की राशि वितरित की गयी है। इस प्रकार इस योजना के तहत अबतक कुल 887.87 करोड़ रुपये की राशि वितरित की गयी है।
- मुख्यमंत्री सूक्ष्म एवं लघु उद्योग कलस्टर विकास योजनांतर्गत कुल 8 क्लस्टरों में सामान्य सुविधा केन्द्र की स्थापना हेतु तैयार डी0पी0आर0 पर राज्य स्तरीय समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी।
- जिला उद्योग केन्द्रों के कार्यालय भवन एवं प्रशिक्षण केन्द्र भवन (छात्रावास सहित) के निर्माण/जीर्णोद्धार हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी।
- बिहार के हस्तशिल्पियों को बाजार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य के विभिन्न जिलो में मेला/ प्रदर्शनी/ समारोह आयोजित किये जाने का प्रावधान किया गया।
- कौशल विकास कार्यक्रम अन्तर्गत हस्तशिल्प के विभिन्न विद्याओं में उच्च स्तरीय प्रशिक्षण देने हेतु हस्तशिल्प प्रशिक्षण कार्यक्रम का प्रावधान किया गया।
- दिनांक 01 फरवरी 2019 से बिहार में हस्तकरघा से उत्पादित वस्त्रों की बिक्री पर खादी की भाँति 10% छूट देने का निर्णय लिया गया।
- राज्य के हस्तकरघा बुनकरों के पुराने लूम को 68 ईंच फ्रेम लूम (टेकअप मोशन सहित) / इससे अधिक चैडाई के फ्रेम लूम (टेकअप मोशन सहित) में परिवर्तित करने के निमित्त 44.42 लाख रु की स्वीकृति प्रदान की गयी।
- कार्यशील पूँजी के आभाव में बुनकरों द्वारा ससमय सूत का क्रय नहीं होने के कारण उनके द्वारा मांग के अनुरुप वस्त्र तैयार करने में कठिनाई होती है जिसके लिये सूत आपूर्ति की योजना लागू की गयी।
- बिहार सरकार द्वारा विद्युत करघा पर वस्त्र बुनाई के लिए बिजली की खपत पर 3 रुपये प्रति यूनिट की दर से विद्युत अनुदान उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गयी।
- राज्य में मलवरी रेशम उद्योग के बहुमुखी विकास के लिए मलवरी विकास परियोजना संचालित किया जा रहा है। इसके अन्तर्गत लाभुकों को सिंचाई, कीट पालन उपस्कर, कीट पालन गृह, विसंक्रमक क्रय एवं नोडल सेन्टर/रीलिंग यूनिट के स्थापना के लिए सहायता दी जा रही है।
- राज्य में तसर रेशम उद्योग के विकास के लिए मुख्यमंत्री तसर विकास परियोजना चलायी जा रही है। जिसके अन्तर्गत बांका, मुंगेर, नवादा, कैमूर, जमूई आदि जिलों में 3416 हेक्टेयर निजी भूखंड एवं 6120 हेक्टेयर वन भूमि पर तसर पौधे लगाये गये हैं।
- तसर सूत उत्पादन के लिए बांका में 6 सामान्य सुविधा केन्द्र (CFC) स्थापित किया गया है। अग्र परियोजना केन्द्र, इनारावरण कटोरिया, बांका एवं श्यामबाजार, बांका में प्रशासनिक भवन एवं 5 बीज भवन का निर्माण कराया गया।

बाल विवाह एवं दहेज से संबंधित सूचना टॉल फ्री नं. 181 पर दें।

- अंडी रेशम उद्योग के विकास के लिए आयडा (आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार) द्वारा अंडी रेशम फॉर्म, बेगूसराय में प्रशासनिक/आवासीय भवन का निर्माण एवं बीजागार भवन का जीर्णोद्धार किया गया।
- बिहार राज्य में अवस्थित खादी ग्रामोद्योग संस्था /समिति के लिए बिहार सरकार द्वारा खादी पुनरुद्धार योजना लागू करते हुए खादी वस्त्र के उत्पादों की बिक्री को बढ़ाने एवं खादी संस्था/समितियों को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से
- खादी संस्था / समितियों को 1000 अदद् त्रिपुरारि मॉडल आधुनिक चरखा उपलब्ध कराया गया।
- भागलपुर एवं कुछ अन्य जिलों में जिन खादी संस्थाओं द्वारा रेशम के वस्त्रों का निर्माण किया जाता है, उन संस्थाओं के मांग पर 930 अदद् कटिया चरखा उपलब्ध कराया गया।
- बिहार के 41 खादी संस्था/समितियों को लैपटॉप एवं टैली सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराकर टैली सॉफ्टवेयर में कार्य करने हेतु प्रशिक्षण दिया गया।
- खादी के रेडिमेड गारमेन्ट्स के नये डिजाइन तैयार करने हेतु नेशनल इन्स्टीच्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी (निफ्ट), पटना के साथ एकरारनामा किया गया।
- राज्य सरकार द्वारा उत्पादित खादी वस्त्रों की बिक्री पर 10 प्रतिशत छूट दिये जाने का प्रावधान किया गया।
- खादी वस्त्रों की बिक्री को बढ़ावा देने हेतु Amazon India में खादी का Online Marketing प्रारंभ करने के साथ-साथ बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा रेमण्ड इण्डिया के साथ एकरारनामा भी किया गया।
- ताड़ के पेड़ के उत्पादों पर आधारित उद्योगों के विकास हेतु नीरा एवं गुड़ निर्माण हेतु समेकित योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। बिहारशरीफ एवं हाजीपुर में नीरा प्लांट स्थापित किया गया तथा गया एवं भागलपुर में नीरा प्लांट स्थापना हेतु कार्य किया जा रहा है।
- बिहार कौशल विकास मिशन कार्यक्रम के तहत 5628 युवकों/युवतियों को रोजगार हेतु विभिन्न ट्रेड में प्रशिक्षण दिया गया।
- राज्य में उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उद्योग विभाग द्वारा वृहत, मध्यम उद्योग प्रक्षेत्र तथा ग्राम/लघु उद्योग प्रक्षेत्र के लिए वित्तीय वर्ष 2019-20 में मूल योजना उद्व्यय 710 करोड़ रुपये एवं पुनरीक्षित उद्व्यय 713.00 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया।
- राज्य सरकार द्वारा हैण्डलूम मार्क निबंधन की योजना लागू की गयी। हैण्डलूम मार्क न केवल हाथ से बने वस्त्रों को लोकप्रिय करने में बल्कि खरीददार के लिए इस बात की गारंटी के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है जो उत्पाद वह खरीद रहा है वह वास्तव में हाथ से बुना गया है।
- बिहार में खादी का ब्रान्ड विकसित करने के उद्देश्य से पटना के गाँधी मैदान के निकट देश के सबसे बड़े खादी मॉल का निर्माण वर्ष 2019 में किया गया। साथ ही गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर एवं छपरा में खादी पार्क के निर्माण का निर्णय लिया गया।

वर्ष 2020 से अबतक

- कोविड-19 के दौरान बिहार में लौटे श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु विशेष प्रोत्साहन पैकेज एवं बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 में संशोधन किया गया तथा विभिन्न उद्योग प्रक्षेत्रों को प्राथमिकता वाले प्रक्षेत्र में जोड़ा गया।
- कोविड-19 के कारण बिहार के बाहर से वापस आए, आने वाले या स्थानीय कामगरों को राज्य सरकार द्वारा स्थानीय स्तर पर उनके कौशल से संबंधित कार्य हेतु आर्थिक एवं तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने के लिए जिला औद्योगिक नवप्रवर्तन योजना लागू की गयी।
- राज्य के सभी लोक उपक्रमों द्वारा कलस्टर आधारित विनिर्माण उद्यमों की स्थापना हेतु जिलों को गोद लिया गया। खाद्य प्रसंस्करण, परिधान निर्माण, फार्म मशीनरी, पेभर ब्लॉक/सिमेंट पोल (विद्युत), फर्नीचर निर्माण, हस्तकरघा, हस्तकला, एवं चर्म आधारित उद्यम के लिए कलस्टर स्थापित करते हुए लोक उपक्रमों को उनके आधारभूत संरचना हेतु अपने संसाधन से उन्हें वित्त पोषण की जिम्मेदारी दी गयी।
- सरकार द्वारा राज्य सरकार के उपक्रमों को देश के ख्याति प्राप्त निजी कंपनियों के साथ संयुक्त उद्यम स्थापित करने का निर्णय लेते हुए श्रम प्रधान विनिर्माण प्रक्षेत्र की प्रमुख निजी कंपनियों के साथ संयुक्त उद्यम स्थापित करने हेतु प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया गया।
- राज्य से बाहर ऐसी इकाइयाँ जिनमें बिहार राज्य के कामगार कार्यरत थे, ऐसी इकाईयों को बिहार में निवेश हेतु आकर्षित करने के लिए बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति में विशेष प्रोत्साहन पैकेज की स्वीकृति प्रदान की गयी।
- विभिन्न जिलों में जो कामगार अन्य राज्यों से लौटे हैं, उनके काउंसलिंग के लिए जिला परामर्शदातृ केन्द्र का गठन करते हुए लौटे हुए सभी कामगारों को इस केन्द्र से सम्पर्क किये जाने की व्यवस्था की गयी है। जिला स्तरीय परामर्शदातृ केन्द्र श्रमिकों के कौशल स्तर का परीक्षण करते हुए राज्य में नियोजन के उपलब्ध अवसरों के संबंध में सुझाव देता है।
- राज्य में आकर्षक दरों एवं आसान शत्र्तों पर भूमि उपलब्ध कराने हेतु बियाडा विशेष आवंटन एवं आम माफी नीति, 2020 के अन्तर्गत नई भूमि आवंटन नीति, 2020 लायी गयी, जिसके तहत आवंटन योग्य भूमि का 25 प्रतिशत सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों तथा स्टार्ट-अप के लिए आरक्षित की गयी। साथ ही 10 प्रतिशत भूमि अनुसूचित जाति/जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग एवं महिला उद्यमी के लिए आरक्षित रखने की व्यवस्था की गयी।
- बिहार उत्सव का आयोजन प्रत्येक वर्ष 16-31 मार्च तक आई.एन.ए. दिल्ली हाट, नई दिल्ली एवं 22-24 मार्च तक गाँधी मैदान, पटना में किये जाने का निर्णय लिया गया। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य राज्य के गौरवशाली विरासत को बिहार के जन-जन तक पहुँचाने के साथ-साथ राज्य के शिल्पियों/बुनकरों को ठववेज नच करना है।
- **वर्ष 2020 में** राज्य में अति पिछड़ा वर्ग के युवाओं को उद्योग स्थापित करने के प्रति अभिरुचि पैदा करने और उनके बीच उद्यमिता/स्वरोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वर्ष 2018 से लागू मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना में अति पिछड़े वर्ग को शामिल करते हुए **मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना** प्रारंभ की गयी। वर्तमान में इस योजना के तहत अति पिछड़ा वर्ग के उद्यमियों को 10 लाख रुपये तक की सहायता दी जा रही है जिसमें 5 लाख रुपये तक का अनुदान एवं 5 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जा रहा है।

  इस योजना के तहत अबतक चयनित कुल 9,205 लाभार्थियों में से 7,627 को प्रथम किस्त के रूप में 261.66 करोड़ रुपये, 6,047 को द्वितीय किस्त के रूप में 260.75 करोड़ रुपये एवं 4159 को तृतीय किस्त के रूप में 91.45 करोड़ रुपये की राशि वितरित की गयी है। इस प्रकार इस योजना के तहत अबतक कुल 613.86 करोड़

बेटा-बेटी एक समान। दहेज-प्रथा करे सबका अपमान ।।

रुपये की राशि वितरित की गयी है।

- स्थायी और वैकल्पिक ईंधन को प्रोत्साहन करने तथा जीवाश्म ईंधन तेल के आयात को कम करने के उद्दश्य से राज्य सरकार ने इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति-2021, दिनांक - 17.03.2021 से लागू की गयी। इससे राज्य के राजस्व में वृद्धि के साथ-साथ रोजगार भी सृजित होगा।
- इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति-2021 के अन्तर्गत 9 इथेनॉल प्लांट यथा- 1. बिहार डिस्टिलर्स एण्ड बॉटलर्स प्रा0 लि0 (यूनिट-1), भोजपुर 2. ईस्टर्न इंडिया बायोफ्यूल्स प्रा0 लि0, पूर्णिया 3. भारत ऊर्जा डिस्टिलरीज प्रा0 लि0, मुजफ्फरपुर 4. सोना सती आर्गेनिक्स प्रा0 लि0, गोपालगंज 5. मुजफ्फरपुर बायोफ्यूल्स प्रा0 लि0, मुजफ्फरपुर 6. चन्द्रिका पॉवर , प्रा0 लि0, नालंदा, 7. मेसर्स पटेल एग्री इंडस्ट्रीज, प्रा0 लि0 (यूनिट-1), नालंदा 8. मेसर्स पटेल एग्री इंडस्ट्रीज प्रा0 लि0 (यूनिट-2), नालंदा 9. मगध सुगर एण्ड एनर्जी लि0 (भारत सुगर मिल), गोपालगंज में स्थापित करते हुए उत्पादन प्रारंभ किया गया।
- राज्य सरकार द्वारा ऑक्सीजन उत्पादन प्रोत्साहन नीति, 2021 दिनांक 30.04.2021 से लागू की गयी। इस नीति का उद्देश्य राज्य में ऑक्सीजन के उत्पादन में वृद्धि करना, आयात पर निर्भरता कम करना तथा स्थानीय रोजगार के अवसर पैदा करना है।
- **वर्ष 2021 में 7 निश्चय-2** के तहत अन्य वर्गों (सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग) के युवाओं को उद्योग स्थापित करने में अभिरुचि पैदा करने और उनके बीच उद्यमिता/स्वरोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से **मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना** लागू की गयी। वर्तमान में इस योजना के तहत उद्यमियों को 10 लाख रुपये तक की सहायता दी जा रही है जिसमें 5 लाख रुपये तक का अनुदान एवं 5 लाख रुपये तक का ऋण 1 प्रतिशत ब्याज पर दिया जा रहा है।

  इस योजना के तहत अबतक चयनित कुल 7,448 लाभार्थियों में से 5,978 को प्रथम किस्त के रूप में 220.77 करोड़ रुपये, 4,256 को द्वितीय किस्त के रूप में 172.79 करोड़ रुपये एवं 2,556 को तृतीय किस्त के रूप में 51.10 करोड़ रुपये की राशि वितरित की गयी है। इस प्रकार इस योजना के तहत अबतक कुल 444.66 करोड़ रुपये की राशि वितरित की गयी है।
- वर्ष 2021 में 7 निश्चय-2 के तहत राज्य की महिलाओं में उद्योग स्थापित करने के प्रति अभिरुचि पैदा करने और उनके बीच उद्यमिता/स्वरोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना लागू की गयी। वर्तमान में इस योजना के तहत उद्यमियों को 10 लाख रुपये तक की सहायता दी जा रही है जिसमें 5 लाख रुपये तक का अनुदान एवं 5 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जा रहा है।

  इस योजना के तहत अबतक चयनित कुल 7,596 लाभार्थियों में से 6,210 को प्रथम किस्त के रूप में 225.10 करोड़ रुपये, 4,331 को द्वितीय किस्त के रूप में 177.34 करोड़ रुपये एवं 2,446 को तृतीय किस्त के रूप में 48.89 करोड़ रुपये की राशि वितरित की गयी है। इस प्रकार इस योजना के तहत अबतक कुल 451.33 करोड़ रुपये की राशि वितरित की गयी है।
- बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन (वस्त्र एवं चर्म) नीति-2022 लागू किये जाने हेतु मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी, जिसका उद्देश्य वस्त्र, पोशाक, रेशम विद्युत चरखा, चमड़ा, सभी तरह के जूते तथा सम्बद्ध उद्योगों के समग्र प्रक्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना तथा निवेश सुविधा को प्रोत्साहित करना है।
- बिहार स्टार्ट-अप नीति, 2017 की अवधि मार्च, 2022 में समाप्त होने के बाद राज्य सरकार द्वारा दिनांक 27 जून, 2022 से बिहार स्टार्ट-अप नीति, 2022 लागू की गयी। राज्य में समावेशी विकास के लिए एक अनुकूल स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी तंत्र के माध्यम से स्थानीय युवाओं की क्षमता का लाभ उठाकर बिहार को स्टार्ट-अप और उद्यमियों के लिए सबसे पसंदीदा गंतव्य के रूप में उभरने हेतु सक्षम बनाने के लिए इस नीति की संकल्पना की गयी है। यह नीति अधिसूचना निर्गत की तिथि से 5 वर्षों के लिए लागू रहेगी। इस नीति के तहत भी वैसे युवा उद्यमियों को प्रोत्साहन/वित्तीय सहायता दिये जाने का प्रावधान है जिनके द्वारा प्रगतिशील और नवारंभ प्रस्ताव दिया जायेगा।

  इस नीति के तहत अबतक प्राप्त आवेदनों की संख्या 11,912 है, जिसमें से प्रमाणीकृत स्टार्ट-अप की संख्या 410 है। इनमें से 300 स्टार्ट-अप को प्रथम किस्त के रूप में 13.81 करोड़ रु0 एवं 63 स्टार्ट-अप को द्वितीय क़िस्त के रूप में 3.78 करोड़ रु0 उपलब्ध कराया गया है। कुल वितरित राशि 17.59 करोड़ रु0 है।
- वरुण बेवरेजेस लि0, द्वारा बरौनी, बेगूसराय में निजी पूँजी निवेश से प्राथमिकता क्षेत्र के अन्तर्गत फ्रूट जूस एण्ड बेवरेजेस निर्माण इकाई की स्थापना की गयी।
- एबिस एक्सपोर्ट्स इंडिया प्रा0 लि0 द्वारा औद्योगिक क्षेत्र बेला, मुजफ्फरपुर में निजी पूँजी निवेश से उच्च प्राथमिकता क्षेत्र के अन्तर्गत पोल्ट्री फीड इकाई की स्थापना की गयी।
- राज्य के हस्तकरघा बुनकरों को अपने उत्पादों की बिक्री करने के लिये पटना में हैण्डलूम हाट का निर्माण किया गया है। साथ ही 7 अगस्त, 2022 को राष्ट्रीय हस्तकरघा दिवस के अवसर पर "बिहार हैण्डलूम" लोगों को लोकार्पण किया गया। इससे राज्य के बुनकरों द्वारा उत्पादित हस्तकरघा वस्त्रों को एक पहचान मिलेगी।
- वर्ष 2023 में 7 निश्चय-2 के तहत राज्य के अल्पसंख्यक वर्ग के युवाओं में उद्योग स्थापित करने के प्रति अभिरुचि पैदा करने और उनके बीच उद्यमिता/स्वरोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से **मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना** लागू की गयी। इस योजना के तहत उद्यमियों को 10 लाख रुपये तक की सहायता दी जा रही है जिसमें 5 लाख रुपये तक का अनुदान एवं 5 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जा रहा है।

  इस योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा 1247 आवेदकों को लाभ देने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके अन्तर्गत 1056 लाभार्थियों का औपबंधिक रूप से चयन किया गया है।
- जाति आधारित गणना में परिवार की मासिक आय के आधार पर आर्थिक रूप से गरीब परिवारों का आँकड़ा सामने आया है। कुल सर्वेक्षित लगभग 2 करोड़ 76 लाख परिवारों में 94 लाख से अधिक (34.14 प्रतिशत) परिवार आर्थिक रूप से गरीब पाये गये हैं। सभी वर्गों में आर्थिक रूप से गरीब परिवारों के आर्थिक उत्थान के लिए यह आवश्यक है कि इन गरीब परिवारों में से कम से कम एक सदस्य को रोजगार का साधन उपलब्ध हो। इस उद्देश्य से सरकार द्वारा जनवरी 2024 से बिहार लघु उद्यमी योजना लागू की गयी है।
- इस योजना में 18 से 50 वर्ष आयु वर्ग के बिहार राज्य के वैसे निवासी, जिसकी पारिवारिक आय 6,000 प्रतिमाह से कम है तथा उनके द्वारा पूर्व से संचालित किसी मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का लाभ नहीं लिया गया है, वे इस योजना हेतु पात्र होंगे।
- इस योजना के तहत आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाईन होगी तथा चयन प्रक्रिया कम्प्यूटरीकृत रेण्डमाइजेशन पद्धति से किया जाएगा। इसमें हर वर्ग के लिए समानुपातिक आधार पर चयन किया जाएगा तथा हर परिवार से एक व्यक्ति को लाभ दिया जाएगा।
- योजना के तहत प्रत्येक लाभुक को स्वरोजगार के लिए अधिकतम 2 लाख की राशि अनुदान के रूप में 03 किस्तों में (क्रमशः 25 प्रतिशत, 50 प्रतिशत एवं 25 प्रतिशत) दिये जाने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त सभी लाभुकों के प्रशिक्षण एवं परियोजना अनुश्रवण समिति द्वारा सहायता के लिए प्रति इकाई 5 प्रतिशत की दर से व्यय का प्रावधान है।

भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायत 0612-2217048 पर करें।

Nov. 2024

Design & Printed by Shiva Enterprises, Patna # 9308286684

बिहार सरकार

उद्योग विभाग

बिहार सरकार

उद्योग विभाग
तथा
सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग
बिहार सरकार

उद्योग विभाग

वर्ष 2005 में **माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार गठन** के उपरांत राज्य में उद्योगों के बढ़ावा देने के उद्देश्य से नई नीतियाँ एवं अन्य कार्यक्रमों का सूत्रपात कर उद्योगों का जाल बिछाने तथा रोजगार के नये अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में कारगर पहल प्रारंभ की गयी। उद्योग विभाग द्वारा बिहार के औद्योगिक परिदृश्य को बदलने तथा निवेशकों के विश्वास को जीतने के लिए पूरी निष्ठा एवं समर्पण के साथ कार्य प्रारंभ किया गया। सतत् संवाद एवं प्रयासों से बिहार में निवेश का बेहतर वातावरण तैयार किया गया। सर्वप्रथम बंद पड़ी औद्योगिक इकाइयों यथा: चीनी मिल, जूट मिल, पेपर मिल तथा सीमेंट उद्योग आदि को पुनर्जीवित कर उनका उन्नयन का कार्य किया गया।

राज्य में समग्र औद्योगिक विकास एवं रोजगार सृजन हेतु उद्योग विभाग शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के विभिन्न प्रक्षेत्रों में सूक्ष्म, लघु, मध्यम एवं वृहत उद्योग लगाने का अवसर प्रदान कर किसानों, शिक्षित बेरोजगारों एवं उद्यमियों के आर्थिक एवं सामाजिक समृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की ओर अग्रसर किया गया।

राज्य सरकार द्वारा राज्य में युवाओं के उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए बिहार स्टार्ट-अप नीति, 2017 लागू की गयी। इस नीति के तहत राज्य में उद्योगों तथा इकाईयों को स्थापित करने और उद्यमिता को बढ़ावा देने हेतु वातावरण तैयार किया गया। इस नीति के तहत वित्तीय सहायता, इन्क्यूबेशन सेंटर, फन्डिंग, प्रचार-प्रसार, प्रमाणीकरण आदि की व्यवस्था की गयी। इसकी 5 वर्ष की अवधि समाप्त होने के उपरांत राज्य सरकार द्वारा राज्य के युवाओं में उद्यमिता के विकास के प्रति अपनी वचनबद्धता दर्शाते हुए वर्ष 2022 में नई स्टार्ट-अप नीति, 2022 लागू की गयी है।

न्याय के साथ विकास की अवधारणा से उद्योग विभाग द्वारा यह सुनिश्चित किया गया कि समाज के पिछड़े एवं वंचित लोगों को विशेष सहायता प्रदान करते हुए सबको विकास के समान अवसर उपलब्ध कराए जाय। इसके अन्तर्गत मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना तथा मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना के संचालन के साथ-साथ सात निश्चय-2 के अन्तर्गत दो नयी योजनाएँ मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना तथा मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना प्रारंभ की गयी।

उद्योग विभाग द्वारा जिला औद्योगिक नवप्रवर्तन योजना, मुख्यमंत्री सूक्ष्म एवं लघु उद्योग कलस्टर विकास योजना, हस्तकरघा बुनकरों को कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराने की योजना, विद्युत करघा बुनकरों को विद्युत अनुदान उपलब्ध कराने की योजना, खादी पुनरुद्धार योजना, मलवरी विकास योजना आदि को भी सफलतापूर्वक लागू कर औद्योगिक विकास की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की गयी है। उद्योग जगत की अपेक्षाओं के अनुकूल नई नीतियों के निर्माण एवं पहले से चली आ रही नीतियों का कुशलता के साथ अनुपालन करने से उद्यमियों में विश्वास जगा है।

वर्ष 2005 से 2010

- देश-विदेश के उद्योगपतियों को बिहार में पूँजी निवेश कर उद्योगों की स्थापना हेतु आकर्षित करने के लिए **बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति-2006** लागू किया गया, जिसमें राज्य में उद्योग स्थापित करने वाले उद्यमियों से आगामी सात वर्षों तक किसी प्रकार का कर नहीं लिये जाने का प्रावधान किया गया।
- उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए नई औद्योगिक प्रोत्साहन नीति-2006 के अतिरिक्त नयी चीनी प्रोत्साहन नीति-2006, निजी क्षेत्रों में उच्च तकनीकी संस्थान संस्थापन नीति-2006, सिंगल विन्डो अधिनियम-2006, बिहार इन्फास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अधिनियम-2006, वैट सरलीकरण अधिनियम-2006 आदि भी लागू किया गया।
- राज्य की रुग्ण एवं बंद पड़ी इकाइयों को रुग्ण घोषित होने की तिथि से 5 वर्षों के लिए विलम्ब अधिभार में छूट दिये जाने का प्रावधान किया गया।
- नयी औद्योगिक इकाइयों को स्वयं के उपयोग हेतु बिजली उत्पादन करने की छूट दी गयी एवं उसपर लागत पूँजी का 50 प्रतिशत सरकार द्वारा अनुदान दिये जाने का प्रावधान किया गया।
- वर्ष 2006 में राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद् का गठन किया गया।
- एक वर्ष में 6160 लघु और अति लघु उद्योगों की स्थापना की गयी।
- बुनकरों के पुराने बकाये ऋण को माफ कर फिर से ऋण मुहैया कराया गया।
- बिहार आधारभूत संरचना (एनेबलिंग) एक्ट, 2006 अन्तर्गत 'लैण्ड बैंक' और 'आधारभूत संचना विकास प्राधिकार' का गठन किया गया। 'लैंड बैंक' की स्थापना निवेशकों को परियोजना स्थापित करने के लिए भूमि उपलब्ध कराने हेतु की गयी एवं इस कार्य हेतु 400 करोड़ रुपये की राशि आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार को उपलब्ध करायी गयी।
- वर्षों से बंद पड़ी 15 चीनी मिलें तथा 2 डिस्टिलरियों को शून्य दायित्व के तहत निजी निवेशकों को लम्बी अवधि की लीज पर हस्तान्तरित करने का निर्णय लिया गया।
- 2007-08 में 937 लघु एवं कुटीर उद्योगों की स्थापना (कुल पूंजी निवेश 47.11 करोड़) की गयी।
- बुनकरों के कल्याण के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना एवं महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना लागू की गयी।
- खादी एवं ग्रामोद्योग से संबंधित विभिन्न शिल्पियों के अल्प अवधि के प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारम्भ कर शिल्पियों की दक्षता एवं कार्यकुशलता में वृद्धि हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम लागू किया गया।
- हस्तकरघा उत्पादों के विपणन में सहायता तथा रेशम कीटपालकों को कीटपालन में सहायता हेतु बुनकरों/कीटपालकों को साइकिल आपूर्ति की योजना लागू की गयी।
- वस्त्र उद्योग के लिए कुशल कारीगर तैयार कर अतिरिक्त रोजगार के सृजन हेतु पटना में अपेरल ट्रेनिंग एवं डिजाईन सेन्टर की स्थापना की स्वीकृति प्रदान की गयी।
- चर्म उद्योग प्रशिक्षण के प्रोत्साहन हेतु औद्योगिक क्षेत्र बेला, मुजफ्फरपुर में कॉमन एफ्लूयेण्ट ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना की स्वीकृति प्रदान की गयी।
- उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान के भवन एवं परिसर का नवीनीकरण करते हुए कम्प्यूटर एडेड डिजाइन लैब की स्थापना की गयी।
- विद्युतकरघा बुनकरों को 50 प्रतिशत अनुदानित मूल्य पर जेनरेटर सेट उपलब्ध कराने की योजना लागू की गयी।
- तीव्र औद्योगिक विकास एवं उद्यमियों की सहायता के लिए "उद्योग मित्र" की स्थापना इंदिरा भवन, पटना में की गयी। इसका मुख्य उद्देश्य आगन्तुक उद्यमियों को उद्योग स्थापित/विस्तार करने हेतु आवश्यक सलाह देने के साथ-साथ प्रोजेक्ट प्रोफाईल, आंकड़े एवं सूचनाएँ आदि सुलभ ढ़ंग से उपलब्ध कराना तथा इस क्रम में आने वाली विभिन्न समस्याओं के निराकरण में सकारात्मक सहयोग करना है।
- जूट पार्क की स्थापना हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति देते हुए जूट कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया को क्रय केन्द्र की स्थापना हेतु जमीन उपलब्ध करायी गयी।
- "समर्थ" योजना अन्तर्गत सरकारी कर्मियों एवं युवाओं के प्रशिक्षण हेतु इग्नू के साथ 400 कम्प्यूटर आधारित प्रशिक्षण केन्द्रों को खोलने का समझौता किया गया।
- बिहार सिंगल विण्डो क्लियरेन्स अधिनियम, 2006 बनाया गया एवं राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद का गठन किया गया।
- वर्ष 2007 में बिहार में निवेश को प्रोत्साहित करने तथा अर्थव्यवस्था के पुनरुत्थान के उद्देश्य से "ग्लोबल मीट फॉर रिसर्जेंट बिहार" का सफल आयोजन किया गया।
- विभिन्न बैंकों से 31.03.2007 तक हस्तकरघा बुनकरों द्वारा लिये गये सभी मूलधन ऋण और विद्युतकरघा बुनकरों का अधिकतम रु0 5.00 लाख तक का "बुनकर ऋण माफी योजना" लागू किया गया।
- निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम की अध्यक्षता में 'रंगरेज आर्टिजन विकास समिति' का गठन किया गया, जिसका उद्देश्य हस्तकरघा उद्योग के अन्तर्गत कपड़ो की रंगाई करने वाले वर्ग को सहायता प्रदान करना था।
- वर्ष 2010 में फतुहा औद्योगिक क्षेत्र, पटना में इन्टरनेशनल ट्रैक्टर्स लि0 के सहयोग से सोनालीका ट्रैक्टर की नई फैक्ट्री की स्थापना की गयी।
- वर्ष 2010 तक में कुल 32,923 उद्योगों की स्थापना की गयी, जिसमें रु0 51,965.50 लाख का पूंजी निवेश हुआ तथा 87,382 लोगों को रोजगार मुहैया कराया गया।

वर्ष 2010 से 2015

- औद्योगिक प्रोत्साहन नीति-2006 के समीक्षोपरान्त नई औद्योगिक नीति बनाने का निर्णय लिया गया, जिसमें राज्य में सन्तुलित औद्योगिक विकास के साथ-साथ राज्य के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान में भी उद्योगों के विशेष योगदान हेतु औद्योगिक प्रोत्साहन नीति-2011 अधिसूचित की गयी।
- कॉमन प्रोडक्शन फैसिलिटी हैण्डलूम कलस्टर परियोजना हेतु 25 एकड़ भूमि कहलगांव, भागलपुर में उपलब्ध करायी गयी।
- नेपुरा, नालंदा में आदर्श बुनकर भवन निर्माण हेतु 35 लाख की स्वीकृति दी गयी।
- बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार द्वारा 232 इकाईयों को उद्योग स्थापना हेतु भूमि आवंटित की गयी तथा 73 इकाईयों में उत्पादन प्रारंभ किया गया।
- रोहतास जिलान्तर्गत मेसर्स कल्याणपुर सीमेन्ट लि0, बंजारी के लिए पुनर्वास पैकेज लागू किया गया।
- मेसर्स डुमराँव टेक्सटाइल लि0, डुमराँव के लिए पुनर्वास पैकेज लागू कर इकाई को कार्यरत किया गया।
- मेसर्स एसियाटिक ऑक्सीजन एन्ड एसीटीलीन कम्पनी लि0, बरौनी, इकाई तथा मेसर्स रॉय बहादुर हर्डरॉय मोती लाल चमरिया (R.B.H.M) जूट मिल कटिहार के पुनर्वास पैकेज की स्वीकृति प्रदान की गयी।
- हस्तकरघा प्रक्षेत्र में कार्यरत बुनकरों के समग्र विकास हेतु उन्हें उन्नत किस्म का हस्तकरघा उपस्कर एवं कर्मशाला उपलब्ध कराने के लिए "मुख्यमंत्री समेकित हस्तकरघा विकास योजना" की स्वीकृति प्रदान की गयी।
- बिहार राज्य में औद्योगिक विकास एवं निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में 'बिहार राज्य औद्योगिक निवेश सलाहकार परिषद् का गठन किया गया, जिसका उद्देश्य राज्य में औद्योगिक विकास एवं निवेश के प्रोत्साहन की नीतियों के लिए एक मंच प्रदान करना तथा राज्य के उद्योग एवं निवेश के विकास हेतु योजनाओं के सूत्रीकरण के लिए सुझाव देना है।
- निजी औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की योजना लागू की गयी। उद्योग स्थापित करने में जमीन की अड़चन को दूर करने के लिए बिहाडा के तर्ज पर निजी औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किये जाने का निर्णय लिया गया।
- मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में औद्योगिक इकाईयों को बढ़ावा देने हेतु विकास आयुक्त की अध्यक्षता में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया गया।
- औद्योगिक क्षेत्र पाटलिपुत्रा में राज्य की प्रथम हीरा तराशने की इकाई स्थापित की गयी।
- राज्य में आर्थिक विकास एवं स्वरोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से "मुख्यमंत्री सूक्ष्म एवं लघु उद्योग कलस्टर विकास योजना" लागू की गयी। इसके अंतर्गत "सामान्य सुविधा केन्द्र" की स्थापना पर राज्य सरकार तथा कलस्टर विशेष प्रयोजन वाहन (SPV) का अंशदान क्रमशः 90 प्रतिशत (अधिकतम 10 करोड़ रु0) एवं 10 प्रतिशत का प्रावधान किया गया है।
- 'बिहार रेशम एवं वस्त्र संस्थान' नाथनगर, भागलपुर की आधुनिकीकरण योजना के तहत टेक्सटाइल्स टर्स्टिंग लैब एवं कैड भवन निर्माण के लिए 202.00 लाख रूपये की स्वीकृति प्रदान की गयी।
- कृषि यंत्र निर्माताओं के लिए अलग से प्रोत्साहन योजना की स्वीकृति दी गयी। इस योजनान्तर्गत कृषि यंत्र निर्माण करने वाली नई इकाइयाँ यथा सूक्ष्म, लघु, मध्यम तथा वृहत् इकाइयों को उनके द्वारा स्थापित की गई इकाई के अचल पूँजी निवेश, जिसमें कारखाना, भवन, मशीन प्लांट, विद्युतीकरण, वेयर हाउसिंग फैसिलिटी, एफ्लूएण्ट ट्रीटमेन्ट प्लांट, क्वालिटी कन्ट्रोल पर किए गए पूँजी निवेश का 35 प्रतिशत पूँजीगत अनुदान दिये जाने का निर्णय लिया गया।
- राईस मिलिंग आधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत संयंत्र मशीनरी एवं टेक्निकल सिविल कार्य पर 25 प्रतिशत (अधिकतम 50 लाख रु0) अनुदान का प्रावधान किया गया तथा योजना के तहत एन0एम0एफ0पी0 के अतिरिक्त 15 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान किया गया।
- कौशल विकास मिशन के अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम में सीपेट, हाजीपुर, इंडो डैनिश टूल रुम, जमशेदपुर, अपैरल ट्रेनिंग एवं डिजाईन सेंटर, पटना एवं 07 अन्य संस्थानों के माध्यम से विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षण कार्यक्रम स्वीकृत की गयी, जिसमें कुल 33,065 लोगों को प्रशिक्षण दिये जाने की व्यवस्था की गयी।
- लघु उद्योग शिल्प तथा अन्य कुटीर उद्योगों को भरपूर संरक्षण एवं प्रोत्साहन हेतु हथकरघा एवं हस्तशिल्प उत्पाद के विपणन हेतु निर्धनतम शिल्पियों/बुनकरों के द्वारा निर्मित कलाकृतियों/उत्पादों के बिक्री हेतु राज्य के बाहर एवं विदेश में लगने वाले सुप्रसिद्ध मेला/प्रदर्शनी में निःशुल्क स्टॉल/स्पेस उपलब्ध कराने हेतु योजना की स्वीकृति प्रदान की गयी।
- बुनकर प्रशिक्षण केन्द्रों के करघा एवं उपकरणें का आधुनिकीकरण की योजना स्वीकृत की गयी। साथ ही भागलपुर जिला के दंगा प्रभावित बुनकरों को बुनाई, रंगाई, छपाई एवं टेक्सटाईल डिजाईन में उन्नत प्रशिक्षण देने की योजना स्वीकृत की गयी।
- नक्सल प्रभावित क्षेत्र, पटना, जहानाबाद एवं अरवल जिलों के हस्तकरघा बुनकरों को शत-प्रतिशत अनुदान पर उन्नत हस्तकरघा उपकरण उपलब्ध कराने की योजना स्वीकृत की गयी।
- बुनकरों तथा सहायक कर्मी के लिए स्वास्थ्य बीमा, महात्मा गाँधी बुनकर बीमा योजना तथा बुनकर क्रेडिट कार्ड योजना संचालित की गयी।
- राज्य के बुनकरों एवं दस्तकारों के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक उत्थान के मददेनजर इनके संरक्षण, कल्याण एवं आर्थिक अभिवृद्धि से संबंधित सभी मामलों के अन्वेषण और अनुश्रवण हेतु राज्य बुनकर और दस्तकार आयोग का गठन किया गया।
- मुख्यमंत्री समेकित हस्तकरघा विकास की योजना में बुनकरों के साथ रंगरेज समूह के सदस्यों को भी योजना में बुनकरों के साथ सम्मिलित किया गया।
- धुनिया, रंगरेज एवं दर्जी के पेशे से जुड़े लोगों का सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक विकास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दि बिहार स्टेट धुनिया रंगरेज दर्जी (धुरद) को-ऑपरेटिव फेडरेशन लि0 का गठन किया गया। धुरद सहकारी समिति का सांगठनिक ढाँचा त्रिस्तरीय यथा- राज्य स्तर पर दि बिहार स्टेट धुनिया रंगरेज दर्जी (धुरद) को-ऑपरेटिव फेडरेशन लि0, जिला स्तर पर जिला स्तरीय धुनिया रंगरेज दर्जी (धुरद) को-ऑपरेटिव लि0 तथा प्रखण्ड स्तर पर प्रखण्ड प्राथमिक धुनिया रंगरेज-दर्जी (धुरद) सहयोग समिति लि0 स्थापित की गयी।
- भागलपुर के रेशम उद्योग, मिथिला की पेंटिंग कला तथा बांस-बेत के कुटीर उद्योग आदि को संरक्षण तथा दस्तकारों की समस्याओं के निदान हेतु तथा रेशम वस्त्र की उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु बुनकरों को शत-प्रतिशत अनुदानित मूल्य पर उन्नत करघा, डाबी, जैकार्ड की आपूर्ति की योजना स्वीकृत की गयी।
- रेशम उद्योग के समग्र विकास हेतु राज्य में मुख्यमंत्री तसर विकास परियोजना एवं मुख्यमंत्री कोसी मलवरी परियोजना (कोशिकी) की स्वीकृति दी गयी।
- निबंधन, करों के भुगतान इत्यादि को सरलीकृत कर व्यवसायियों को 'ऑनलाईन' सुविधा सुलभ कराने के उद्देश्य से ई-सर्विसेज के तहत सभी कार्यालय कम्प्यूटरीकृत किया गया।
- ई-निबंधन के तहत बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम एवं बिहार प्रवेश कर अधिनियम के अन्तर्गत निबंधन की प्रक्रिया ऑनलाईन प्रारंभ की गयी।
- ई-विवरणी के तहत बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम एवं बिहार प्रवेश कर अधिनियम के अन्तर्गत विवरणियों के ऑनलाईन दाखिल करने की सुविधा प्रारंभ की गयी।
- ई-पेमेन्ट के द्वारा बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम एवं बिहार प्रवेश कर अधिनियम के अन्तर्गत ऑनलाईन कर भुगतान की सुविधा प्रारंभ की गयी।
- वर्ष 2013 में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग के श्रेणी में कुल 4,286 इकाईयों का स्थायी निबंधन करते हुए 22,723 व्यक्तियों के लिए रोजगार सृजन किया गया।
- वर्ष 2013 में बिहार के औद्योगिक वातावरण में सुधार एवं इच्छुक उद्योगपतियों/अप्रवासी भारतीय/बिहारी समुदाय से पूंजी निवेश को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा निवेश आयुक्त, मुम्बई कार्यालय की स्थापना हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी।
- नवनिर्मित होटलों को व्यवसाय शुरु करने की तिथि से सात वर्षों के लिए विलासिता कर से विमुक्त किया गया।
- आम तौर पर खैनी के नाम से जाना जाने वाला अविनिर्मित तम्बाकू, सभी प्रकार के बीज, कच्चे जूट, हस्त निर्मित स्वदेशी साबुन, पत्ते के प्लेट एवं कप, कोन गट्टर में सूती एवं सिल्क धागा, काँस तथा बेल मेटल से निर्मित वर्तन एवं जैविक खाद को करमुक्त किया गया।
- इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड लि0 एवं बिहार सरकार के बीच सम्पूर्ण ऊर्जा यथाः वाणिज्यिक, औद्योगिक और परिवहन प्रक्षेत्र में संयुक्त रुप से राज्य में प्राकृतिक गैस इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन, गैस की आपूर्ति एवं अक्षय उर्जा के लिए होने वाले करार की स्वीकृति प्रदान की गयी।
- कृषि यंत्र निर्माताओं के लिए अलग से प्रोत्साहन योजना की स्वीकृति दी गयी। इस योजनान्तर्गत कृषि यंत्र निर्माण करने वाली नई इकाइयाँ यथा-सूक्ष्म, लघु, मध्यम तथा वृहत् इकाइयों को उनके द्वारा स्थापित की गई इकाई के अचल पूँजी निवेश, जिसमें कारखाना, भवन, मशीन प्लांट, विद्युतीकरण, वेयर हाउसिंग फैसिलिटी, एफ्लूएण्ट ट्रीटमेन्ट प्लांट, क्वालिटी कन्ट्रोल पर किए गए पूँजी निवेश का 35 प्रतिशत पूँजीगत अनुदान दिये जाने का प्रावधान किया गया।
- राज्य में औद्योगिक विकास एवं निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद के अन्तर्गत मई 2015 तक 2078 परियोजनाओं पर सहमति दी गयी। जिसमें 306 औद्योगिक इकाई की स्थापना की गयी।
- वर्ष 2015 में विपणन सहायता के लिए बुनकरों को साइकिल क्रय हेतु 1000 रु0 एवं 2000 अनुदान देकर 4720 बुनकरों को लाभान्वित किया गया, जिसमें 77.86 लाख रु0 का व्यय किया गया।

वर्ष 2015 से 2020 के दौरान किये गये कार्य

- औद्योगिक निवेश को अधिक सहज बनाने एवं राज्य में त्वरित औद्योगिक विकास हेतु के उद्देश्य से बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन अधिनियम, 2016 को लागू किया गया तथा बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन अधिनियम, 2016 के सभी या किसी प्रयोजन को क्रियान्वित करने के लिए बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली, 2016 दिनांक 2 दिसम्बर, 2016 से लागू की गयी।
- 1 सितम्बर 2016 से राज्य में त्वरित औद्योगिक विकास के लिए बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 लागू की गयी। इसका मुख्य उद्देश्य राज्यभर में उद्योगों के साथ-साथ राज्य के प्राकृतिक संसाधनों के महत्तम मूल्य संवर्द्धन, राजस्व पैदा करना तथा रोजगार सृजन करना है। इसके अन्तर्गत प्राथमिकता के आधार पर खाद्य प्रसंस्करण, पर्यटन, लघु मशीन विनिर्माण, आई.टी., आई.टी.ई.एस., इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर विनिर्माण, वस्त्र, प्लास्टिक और रबर, अक्षय ऊर्जा, स्वास्थ्य, चमड़ा एवं तकनीकी शिक्षा को विशेष सुविधाएँ देने का प्रावधान किया गया।
- बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 के तहत अब तक कुल 3310 ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए। स्टेट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड (SIPB) द्वारा 2855 को स्टेज-1 का क्लियरेंस दिया गया है, जिसमें निवेश की प्रस्तावित राशि 69517.46 करोड़ रु0 है। 803 प्रस्तावों को वित्तीय प्रोत्साहन क्लियरेंस दी गई है, जिसमें कुल निवेश राशि 8513.18 करोड़ रु0 है। कार्यरत इकाईयों की संख्या 606 है, जिसमें कुल निवेशित राशि 5682.49 करोड़ रु0 है तथा रोजगार प्राप्त व्यक्तियों की संख्या 22376 है।
- राज्य सरकार ने राज्य में युवाओं की उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए **स्टार्ट-अप नीति, 2016** को दिनांक 7 सितम्बर, 2016 से लागू किया गया। इस नीति का उद्देश्य एक स्वतंत्र एवं पारदर्शी पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करना था, जहाँ राज्य द्वारा स्टार्ट-अप एवं नवाचार के वित्त पोषण, प्रोत्साहन एवं नीतिगत समर्थन का प्रावधान किया गया। बाद में इस नीति को संशोधित कर बिहार स्टार्ट-अप नीति, 2017 के रुप में लागू किया गया।
- राज्य सरकार के सहयोग से बिहार उद्योग संघ एवं बिहार उद्यमी संघ के माध्यम से पटना में दो इन्क्यूवेशन सेन्टर की स्थापना की गयी।
- 7 निश्चय के तहत राज्य सरकार द्वारा राज्य में युवाओं के उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए **बिहार स्टार्ट-अप नीति, 2017** दिनांक 17.03.2017 से लागू की गयी। इस नीति के तहत राज्य में उद्योगों तथा इकाईयों को स्थापित करने और उद्यमिता को बढ़ावा देने हेतु एवं वातावरण तैयार किये जाने हेतु प्रावधान किया गया। वित्तीय सहायता, इन्क्यूबेशन सेंटर, फन्डिंग, प्रचार-प्रसार, प्रमाणीकरण आदि की व्यवस्था इस नीति के मुख्य अंग था। इस योजना की अवधि 5 वर्ष की थी, जो 16 मार्च 2022 को समाप्त हो चुकी है।
- बिहार स्टार्ट-अप नीति, 2017 के तहत कुल 24462 आवेदन प्राप्त हुए हैं। अब तक प्रमाणीकृत 185 आवेदकों में 145 आवेदकों को प्रथम किस्त के रुप में 5.95 करोड़ रु0 भुगतान किया गया है। 99 स्टार्ट-अप को द्वितीय किश्त के रुप में 5.33 करोड़ रु0 भुगतान किया गया है। कुल वितरित राशि 11.28 करोड़ रु0 है।
- कौशल विकास के तहत प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत हस्तशिल्प के विभिन्न विधाओं में 10 स्थानों पर प्रशिक्षण प्रारंभ किया गया।
- बिहार बुनकर कल्याण समिति के नियंत्रणाधीन बुनकर कल्याण कोष के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं के तहत बुनकरों के अंशदान की प्रतिपूर्ति की व्यवस्था की गयी।
- नीरा तथा नीरा से बनने वाले उत्पादों के लिए मैनुफैक्चरिंग यूनिट की स्थापना की गयी एवं संचालन हेतु कम्फेड को जिम्मेदारी दी गयी।
- बियाडा के अंतर्गत पटना, भागलपुर, दरभंगा एवं मुजफ्फरपुर के अधीन औद्योगिक क्षेत्रों / प्रांगणों में इकाइयों को कुल 2439 भू-खंड आवंटित किया गया।
- प्रयोगशाला सहायक संवर्ग नियमावली, 2016 एवं रुपांकक संवर्ग नियमावली, 2016 को स्वीकृति प्रदान की गयी।
- हस्तकरघा प्रक्षेत्र के विकास हेतु 01 मेगा हैण्डलूम कलस्टर (भागलपुर एवं बांका) के तहत 10 प्रखंड स्तरीय कलस्टर का चयन किया।
- मुख्यमंत्री तसर विकास योजनान्तर्गत बांका, मुंगेर एवं नवादा जिलों में 1,089 हेक्टेयर निजी भूमि में तसर वृक्षारोपण कराया गया।
- मुख्यमंत्री कोसी मलवरी परियोजनान्तर्गत सहरसा, सुपौल, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज एवं मधेपुरा जिलों में 627 एकड़ निजी भूखण्ड में मलवरी वृक्षारोपण कराया गया।
- करोबार आसान करने हेतु सूचनाओं की उपलब्धता के लिए "उद्योग संवाद पोर्टल", औद्योगिक विकास को उत्प्रेरित करने के लिए संस्थागत सुदृढीकरण, श्रम संबंधी सुधार, वातावरण संबंधी सुधार, सिंगल विण्डो क्लीयरेंस व्यवस्था, कार्यक्रम प्रबंधन एजेंसी का प्रावधान एवं बियाडा अधिनियम सुधार का प्रावधान किया गया।
- कौशल विकास कार्यक्रम का उद्देश्य राज्य के बेरोजगार युवक/युवतियों के अंदर कौशल का विकास करना है जिसके आधार पर वे नियोजित/स्वनियोजित हो सके। इसके अंतर्गत प्रशिक्षणदाता संस्थानों द्वारा विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षण दिये जाने की व्यवस्था की गयी। प्रशिक्षण का व्यय सामान्य जाति के लिए 90 प्रतिशत एवं अनुसूचित जाति/जनजाति के युवक/युवतियों के लिए शत-प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा वहन किये जाने का प्रावधान किया गया।
- राज्य के हस्तशिल्प एवं हस्तकरघा प्रक्षेत्र के उत्कृष्ट बुनकरों को निःशुल्क स्टॉल आवंटित करने हेतु क्राफ्ट बाजार की व्यवस्था की गयी, जिसमें शिल्पियों एवं बुनकरों द्वारा निर्मित हस्तशिल्प एवं हस्तकरघा की सामाग्रियों की प्रदर्शनी एवं बिक्री की जाती है।
- राज्य में स्कूली छात्र-छात्राओं के बीच हस्तशिल्प के प्रक्षेत्र में जागरुकता बढ़ाने के उद्धेश्य से लिए ग्रीष्मकालीन कार्यशाला आयोजित करने की व्यवस्था की गयी।
- राज्य के परम्परागत हस्तशिल्पों यथा- टिकुली पेंटिंग, मधुबनी पेंटिंग, पेपरमेशी शिल्प, सिक्की कला, एप्लिक/कशीदा एवं टेराकोटा में जागरुकता एवं रुचि बढ़ाने के उद्देश्य से पाटलिपुत्र स्थित संस्थान परिसर में प्रत्येक शनिवार और रविवार को निःशुल्क हॉबीक्लास की शुरुआत की गयी।
- खादी पुनरुद्धार योजनांतर्गत खादी प्रक्षेत्र के विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा बिहार में अवस्थित खादी संस्थाओं के सुदृढीकरण हेतु 90 प्रतिशत के अनुदान पर चरखा, करघा, इम तथा उलेन निटींग मशीन उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान किया गया।
- बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को सूत कताई, सूत बुनाई, दरी/कालीन अन्य ग्रामोद्योगी जैसे बेंत, बांस, चर्म उद्योग, मधुमक्खी पालन, जूट बैग निर्माण, डिटरजेन्ट पाउडर निर्माण का प्रशिक्षण दिये जाने का प्रावधान किया गया।
- यूनाईटेड स्टेट ऑफ अमेरिका (यू.एस.ए.) आधारित जी.ई. इलेक्ट्रीक कम्पनी द्वारा रेल मंत्रालय के सहयोग से मढ़ौरा, सारण में 120 अदद प्रतिवर्ष क्षमता का डीजल लोकोमोटिव इंजन के उत्पादन हेतु इकाई की स्थापना वर्ष 2018 में की गयी।
- फ्रांस आधारित मेसर्स एल्सटोम द्वारा रेल मंत्रालय के सहायोग से रामपुर, मधेपुरा में 120 अदद प्रतिवर्ष क्षमता का इलेक्ट्रीक लोकोमोटिव के उत्पादन हेतु इकाई की स्थापना की गयी।
- मेसर्स शिवशिवा स्टील प्रा. लि., नारायण प्लाजा, एक्जिबिशन रोड, पटना द्वारा ग्राम- रायपुरा, प्रखण्ड-फतुहा, जिला-पटना में 1,20,000 एम.टी. वार्षिक क्षमता का टी.एम.टी. बार एवं क्वॉयल निर्माण इकाई की स्थापना

बिटिया मेरी अभी पढ़ेगी, शादी की सूली नहीं चढ़ेगी।

14 साल की बिटिया है, लगवाओ न तुम फेरे,
कंधों पर बस्ता दे दो, जाएगी स्कूल सुबह-सबेरे।

बेटी है एक वरदान। दहेज देकर मत करो अपमान।।

अवैध शराब एवं मादक द्रव्य के संबंध में शिकायत
टॉल फ्री नं. 18003456268 या 15545 पर करें।